FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0031 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/02/2024 16:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 15/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:45 बजे **Time To (समय तक):** 18:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/02/2024 **Time (समय):** 20:08 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/02/2024 16:15:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 52 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Holi Tiba Tijara

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):** ALWAR(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Hasan Mohammad

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Islam Khan

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Hasanpurmafi, Tijara, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Hasanpurmafi, Tijara, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9351064797

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Jitendra Kumar		पिता:Gabdu Ram	1. Barkheda,Malakheda,ALWAR,RA
2	Aanand Rao			1. Office Jr Eng,Discom Tijara Rural,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2024 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर परिवादी श्री हसन मोहम्मद पुत्र श्री इस्लाम खान, जाति मेव, उम्र 34 साल, निवासी हसनपुरमाफी, तहसील तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा ने उपस्थित होकर श्री पीयूश दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामें, श्रीमान एडीशनल एस. पी. साहब, ए.सी.बी., अलवर। विशयः- बिजली विभाग तिजारा के जे.ई.एन आनन्द व हमारे फीडर निमली के लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं हसन मोहम्मद पुत्र श्री इस्लाम खॉन ग्राम हसनपुर माफी तह0 तिजारा जिला खैरथल-तिजारा का रहने वाला हॅू। हमारे गॉव में मेरे पिताजी व ताऊजी इब्राहीम के पास-पास मकान है हमारे मकान का बिजली का कनेक्शन मेरे भाई साहबदीन के नाम से है। जिसके के नं0 211644018396 है तथा मेरे ताऊजी के मकान का बिजली का कनेक्शन मेरे दादाजी कमल खॉन के नाम से है। जिसके के नं0 211644018276 है। दिनांक 12.02.2024 को बिजली विभाग तिजारा का जे.ई.एन श्री आनन्द व हमारे फीडर नीमली प्रथम का लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य कर्मचारी हमारे मकान पर आये और हमारे व मेरे ताऊजी के मकान के मीटर के फोटो खीच कर ले गये व हमारे मकान में लगी पीने के पानी की सिंगल फेस सबमर्सिबल मोटर के स्टार्टर को खोल कर अपने साथ ले गये। इसके बाद उसी रोज शाम को हमारे फीडर के लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार ने मो.नं. 8529306607 से मेरे ताऊजी इब्राहीम के मो.नं. 9549113585 पर फोन कर के तिजारा बिजली विभाग के ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहा, जिस पर मैं व मेरे ताऊजी इब्राहीम दिनांक 12.02.2024 को शाम को ही जे.ई.एन आनन्द से मिले तो जे.ई.एन ने हमारे से कहा की चोरी से मोटर चलाते हो मैं आपकी वीसीआर भरूंगा यदि आप वीसीआर नही भरवाना चाहते हो तो और अपनी मोटर के स्टार्टर वापस लेना चाहते हो तो पैसे लगेंगे और आप लोग आपके फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार से बात कर लो। इसके बाद मैं व मेरे ताऊजी हमारे फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार से बिजली विभाग तिजारा के ऑफिस में वही पर मिले और उससे श्री आनन्द जे.ई.एन हमारी वी सी आर नही भरने व हमारी मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने की बात की तो, जितेन्द्र लाईनमैंन जे.ई.एन श्री आनन्द के पास उसके ऑफिस में गया और उससे वार्ता कर हमारे पास वापस आकर श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन, जे.ई.एन आनन्द से हमारी वीसीआर नही भरवाने व हमारी मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने की एवज में श्री आनन्द जे.ई.एन तिजारा ग्रामीण के लिये एवं अपने स्वयं के लिए हमारे दोनों कनेक्शनों के 10-10 हजार रू0 प्रति कनेक्शन के हिसाब से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं बिजली विभाग तिजारा के भ्रष्ट जे.ई.एन आनन्द व हमारे फीडर के लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार को रिश्वत नही देना चाहता हॅू तथा दोनों को मेरे से रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 13.2.2024 प्रार्थी हस्ता/- हसन मोहम्मद इस्लाम खॉन, ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा 9351064797 " कार्यवाही पुलिस दिनांक 13.02.2024 को समय 09.45 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीयूश दीक्षित, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री हसन मोहम्मद उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री हसन मोहम्मद को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि गॉव हसनपुरमाफी में मेरे पिताजी व मेरे ताऊजी इब्राहीम के पास-पास मकान है। हमारे मकान का बिजली का कनेक्शन मेरे भाई साहबदीन के नाम से है जिसके के नम्बर 211644018396 है तथा मेरे ताऊजी के मकान का बिजली का कनेक्शन मेरे दादाजी कमल खान के नाम से है जिसके के नम्बर 211644018276 है। दिनांक 12.02.2024 को बिजली विभाग तिजारा का कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द व हमारे फीडर नीमली-प्रथम का लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य कर्मचारी हमारे मकान पर आये और हमारे व मेरे ताऊजी के मकान के मीटर के फोटो खीच कर ले गये तथा हमारे मकान से पीने के पानी की सिंगल फेस सबमर्शिबल मोटर के स्टार्टर को खोल कर अपने साथ ले गये। इसके बाद उसी रोज शाम को हमारे फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नं0 8529306607 से मेरे ताऊजी ईब्राहीम के मोबाईल नं0 9549113585 पर फोन कर के हमें तिजारा बिजली विभाग के ऑफिस में आकर कनिष्ठ अभियन्ता, तिजारा-ग्रामीण श्री आनन्द से मिलने के लिए कहा, जिस पर मैं व मेरा ताऊजी श्री

इब्राहीम दिनांक 12.02.2024 को शाम को ही कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द से मिले तो कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द ने हमारे से कहा कि आप लोग चोरी से मोटर चलाते हो, मैं आपकी वी0सी0आर0 भरूंगा, यदि आप अपनी वी0सी0आर0 नही भरवाना चाहते हो और अपनी मोटर का स्टार्टर वापस लेना चाहते हो तो पैसे लगेगे और आप लोग आपके फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार से बात कर लो। इसके बाद मैं व मेरे ताऊजी हमारे फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार से बिजली विभाग के तिजारा के कार्यालय वही पर मिले और उससे, श्री आनन्द कनिष्ठ अभियन्ता से हमारी वी0सी0आर0 नही भरने व हमारी मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने की बात की तो श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द के पास उसके कार्यालय में गया और उससे वार्ता कर हमारे पास वापस आकर श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन, कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द से हमारी वी0सी0आर0 नही भरवाने व हमारी मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने की एवज में श्री आनन्द, कनिष्ठ अभियन्ता तिजारा-ग्रामीण के लिए एवं अपने स्वयं के लिये हमारे दोनों कनेक्षनों के 10-10 हजार रू0 प्रति कनेक्शन के हिसाब से 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं बिजली विभाग तिजारा के भ्रष्ट कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द व हमारे फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुंमार को रिश्वत नही देना चाहता हॅू तथा दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। पूछताछ के दौरान परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे ताऊजी ईब्राहीम व मैंने, मेरे ताऊजी के लडके आरीफ को भी उक्त द्वारा रिश्वत मांगने एवं उक्त के खिलाफ ए0सी0बी0 में कार्यवाही करने हेतु बताया है तथा मेरे ताऊजी इब्राहीम व उनके लडके आरीफ ने उक्त के खिलाफ ए0सी0बी0 में कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु मुझे अपनी मौखिक सहमति प्रदान की है। परिवादी ने यह भी बताया कि उसकी, श्री आनन्द कनिष्ठ अभियन्ता-तिजारा ग्रामीण, बिजली विभाग तिजारा एवं हमारे फीडर के लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार, बिजली विभाग तिजारा जिला खैरथल-तिजारा से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति एव उसके भाई साहबदीन के नाम के बिजली कनेक्शन व दादाजी श्री कमल खान के नाम के बिजली कनेक्शन के बिल जमा करवाने की रसीदों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर उक्त पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समय 10.15 एएम0 पर मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपरोक्त तथ्यों से अवगत करवाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मय परिवादी हसन मोहम्मद के मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस मय परिवादी हसन मोहम्मद को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं उक्त पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही पुलिस का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही पुलिस में अंकित समस्त तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं श्री महेश कुमार कानि. 462 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय 10.30 ए0एम0 पर उक्त दोनो को संदिग्ध आरोपीगण के पास तिजारा जाने हेतु रवाना किया गया था। समय 05.30 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ गये हुये श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया कि संदिग्ध आरोपीगण फील्ड में गये हुये होने के कारण आज परिवादी की संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी तथा कल दिनांक 14.02.2024 को प्रातः परिवादी संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी वार्ता करेगा" इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 को अपनी पहचान छुपाते हुये तिजारा ही रूकने तथा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने पास ही सुरक्षित रखने एवं दिनांक 14.02.2024 को परिवादी की संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी वार्ता करवाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2024 को समय 10.30 ए0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल वॉटसअप कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "मुझे परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने बताया है कि उसकी संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन से रिश्वत मांग से सम्बन्धी वार्ता हो गई है तथा संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने रिश्वत के 20 हजार रू0 कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द को देने के लिये उससे आधा घण्टे में लाकर देने के लिये कहा है। आधा घण्टे में पैसे लाकर नही देने पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द उनकी वी0सी0आर0 भर देगा, लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार बता रहा है कि अभी तक कनिष्ठ अभियन्ता ने उनकी वी0सी0आर0 नही भरी है। इसलिए परिवादी यह कह रहा है कि अगर वह आज आधा घण्टे में कुछ रूपये श्री आनन्द जेईएन के लिये, लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार को नही देगा तो वे वी0सी0आर0 भर देंगे और बाद में पैसे नही लेंगे।" श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा अवगत करवाये गये उक्त तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही

हेतु परिवादी श्री हसन मोहम्मद को तिजारा से ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर आने में एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को मय ट्रेप पार्टी के अलवर से तिजारा पहुंचने में आधा घण्टे से काफी अधिक समय लगेगा। इसलिए मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 को निर्देश दिये कि वह परिवादी श्री हसन मोहम्मद से संदिग्ध आरोपी कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द के लिये संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन को टोकन मनी के रूप में 10 हजार रू0 रिश्वत के नोटो की पहचान स्वरूप परिवादी के मोबाईल से फोटों खिचवाकर उक्त 10 हजार रू0 टोकन मनी अविलम्ब दिलवाकर तथा शेष रिश्वत राशि 10 हजार रू0 परिवादी कल दिनांक 15.02.2024 को प्रातः देने के लिए संदिग्ध आरोपीगण को कहकर, परिवादी श्री हसन मोहम्मद को रिश्वत राशि सहित हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय अलवर आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात समय 04.30 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल वॉटसअप कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन को कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द के लिये 500-500 रू0 के 20 नोट 10 हजार रू0 रिश्वत के टोकन मनी के रूप में दे दिये है और परिवादी ने उक्त नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल फोन से फोटो खीच कर सुरक्षित कर लिये है तथा संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने शेष रिश्वत राशी 10 हजार रू0 कल दिनांक 15.02.2024 को प्रातः 8.30-9.00 बजे तक देने के लिये कहा है। परिवादी अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे साथ ही तिजारा से ब्यूरों कार्यालय अलवर आ रहा है।" इस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से दो सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय में तलब किये गये।तत्पश्चात समय समय 06.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 मय परिवादी श्री हसन मोहम्मद के ब्यूरों कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने बताया कि दिनांक 13.02.2023 को मैं व आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय करीब 12.30 पी0एम0 पर बिजली विभाग तिजारा के पास पहुंचे, जहां पर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 12.38 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 का टेप रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर बिजली विभाग तिजारा के कनिष्ठ अभियन्ता, तिजारा ग्रामीण के कार्यालय में गया, तो मुझे संदिग्ध आरोपी श्री आनन्द कनिष्ठ अभियन्ता व लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार नही मिले इसके बाद मैं वापस महेश कुमार कानि0 के पास आ गया और टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया। इसके बाद मैंने संदिग्ध आरोपीगण की जानकारी किया तो उनका फिल्ड में जाना ज्ञात हुआ तथा उस दिन आरोपीगण के मौजूद नही मिलने के कारण उनसे रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी। इसके बाद आज दिनांक 14.02.2024 को सुबह समय करीब 09.30 बजे श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने मुझे फोन किया और अहिंसा सर्किल तिजारा पर मिलने के लिये कहा। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 09.38 ए0एम0 पर ए0सी0बी0 का टेपरिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन के पास अहिंसा सर्किल तिजारा पर गया, जहां पर श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन मौजूद मिला तथा श्री महेश कुमार कानि0 अंहिसा सर्किल के पास ही मेरे से कुछ दूरी पर खडे हो गये थे। मैंने श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन से हमारी वी0सी0आर0 नही भरने के बारे में तथा हमारी मोटर का स्टार्टर वापस देने के बारे में बातचीत की तो श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने कनिष्ठ अभियन्ता के लिये व स्वयं के लिये 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग किया तथा रिश्वत की राशि आधा घण्टे में ही लाकर देने के लिये कहा। मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन के मध्य हुई सभी वार्तालाप को ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं का टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया था कि मेरी संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन से रिश्वत मांग से सम्बन्धी वार्ता हो गई है तथा संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने रिश्वत के 20 हजार रू0 कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द को देने के लिये मेरे से आधा घण्टे में लाकर देने के लिये कहा है। लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि आधा घण्टे में पैसे लाकर नही देने पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द हमारी वी0सी0आर0 भर देगा, अभी तक कनिष्ठ अभियन्ता ने हमारी वी0सी0आर0 नही भरी है। मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को यह भी बताया था कि यदि मैं आज आधा घण्टे में कुछ रूपये श्री आनन्द जेईएन के लिये, लाईनमैंन श्री जितेन्द्र कुमार को नही दूंगा तो वे हमारी वी0सी0आर0 भर देंगे और बाद में पैसे नही लेंगे। श्री महेश कुमार कानि0 ने मोबाईल से उक्त सभी बाते आपको बताई थी और इसके बाद आपके निर्देशानुसार श्री महेश कुमार कानि0 ने मुझे 10 हजार रू0 रिश्वत के टोकन मनी के रूप में संदिग्ध आरोपी श्री आनन्द कनिष्ठ अभियन्ता के लिये संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार को देने के लिये और उन 10 हजार रू0 के नोटों की पहचान स्वरूप मेरे मोबाईल से फोटों खिचने के लिये कहा था। मैंने लाईनमैंन जितेन्द्र कुमार को रिश्वत के टोकन मनी के रूप में दिये जाने वाली राशि 10 हजार रू0 के 500-500 रू0 के 20 नोटों की मेरे मोबाईल से फोटों खीच ली थी, जो अभी मेरे मोबाईल फोन मे सुरक्षित है। इसके बाद समय करीब 03.08 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 ने ए0सी0बी0 का टेप रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये जरिये मोबाईल बताये गये स्थान बिजली घर तिराहा तिजारा पर गया, जहां पर मुझे श्री

जितेन्द्र कुमार लाईनमैन मौजूद मिला, जो मेरे साथ मेरी मोटर साईकिल पर बैठकर मुझे तिजारा टोलटैक्स की तरफ एक पाईप फैक्ट्री के पास लेकर गया, जहाँ पर मैंने उसको 10 हजार रू0 दिये तो वह मेरे से कहा कि जेईएन साहब पूरे 20 हजार रू0 लेंगे, वह बहुत कमीना आदमी है और जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन ने मुझे पुरे 20 हजार रू0 देने के लिये कहा जिस पर मैंने उससे कहा कि 10 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई है, बाकी के 10 हजार रू0 कल दिनांक 15.02.2024 को सुबह दे दूंगा, जिस पर वह मेरे से 10 हजार लेकर उनको गिनकर अपने पास रख लिये। मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैने ए0सी0बी0 के टेपरिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। इसके बाद मैंने श्री महेश कुमार कानि0 के पास आकर ए0सी0बी0 का टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और उक्त सभी तथ्य मैने श्री महेश कुमार कानि0 को बता दिये थे तथा श्री महेश कुमार कानि0 ने मोबाईल से आपको बता दिये थे। इसके बाद मैं व श्री महेश कुमार कानि0 तिजारा से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आ गये। पूछने पर श्री महेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन द्वारा परिवादी श्री हसन मोहम्मद से उनके दोनों कनेक्शनों की जेईएन से वी0सी0आर0 नही भरने देने एवं मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने की एवज में 10-10 हजार रू0 प्रति कनेक्शन के हिसाब से कुल 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी से 10 हजार रू0 रिश्वत के प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 10 हजार रू0 दिनांक 15.02.2024 को सुबह देने के लिये परिवादी को कहना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात पूर्व से तलबशुदा व कार्यालय में बैठे गवाह श्री जितेन्द्र यादव, कनिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को समय 06.30 पी0एम0 पर अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर दोनों गवाहान का कार्यालय कक्ष में मौजूद परिवादी श्री हसन मोहम्मद से आपसी परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा दिनांक 13.02.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 06.45 पी0एम0 पर उक्त दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी की मौजूदगी में परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन, बिजली विभाग तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा के मध्य आज दिनांक 14.02.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय एवं रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क ''ए-1'', मार्क ''ए-2'' एवं मार्क ''ए-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''ए-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 03 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 14.02.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क ए-1 व ए-2 को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द शर्मा, कानि0 503 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में अंकन कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। इसके बाद समय 10.15 पी0एम0 पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद को दिनांक 14.02.2024 को संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन को रिश्वत की टोकन मनी के रूप में दिये गये 10 हजार रू0 के नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल फोन में खीची गई फोटों पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने अपने पास से अपना सैमसंग कम्पनी का ए-23 एन्ड्रोयड मोबाईल फोन पेश किया, जिसकी फोटो गैलरी का दोनों गवाहान से अवलोकन करवाया गया, तो गवाहान ने उक्त मोबाईल फोन की गैलरी में दिनांक 14.02.2024 को 500-500 रू0 के 20 नोटों की 5-5 नोटो की एक साथ करके, चार फोटो खिची हुई सेव (सुरक्षित) होना बताया, जिनको परिवादी को दिखाया गया तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद उक्त फोटों संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन को रिश्वत में दी गई 10 हजार रू0 टोकन मनी के 500-500 रूपयों के 20 नोटों की होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरों का अवलोकन दोनों गवाहान एवं परिवादी से करवाया गया तो 500-500 रू0 के 20 नोटों के नम्बर 1BC 449246, 3SV 435253,5ND 204876, 5LK 125977, 5HT 670040, 6NH 343406, 5CF 525865, 4WA 121738, 4EM 100453,9EB 024875,6LK 113857, 2TR 634969,8QA 774384, 7LE 661607, 9TN 640224, 6QG 730089, 6DG 565559, 9LM*540569, 1BH 214096, 1FE 085865 होना पाये गये

तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल फोन से उक्त नोटों के चारों फोटों के कार्यालय के विभागीय लैपटॉप की सहायता से प्रिन्टर से प्रिन्टऑउट निकलवाकर मोबाईल में फोटो से एक समान होने की पहचान कर उक्त नोटों के फोटो के चारो प्रिन्टऑउट पर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री हसन मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाकर संलग्न पत्रावली किया गया तथा परिवादी का मोबाईल फोन परिवादी श्री हसन मोहम्मद को वापस सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 10.30 पी0एम0 पर दोनों गवाहान को दिनांक 15.02.2024 को प्रातः समय 07.15 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद को दिनांक 15.02.2024 को संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10 हजार रू0 अपने साथ लेकर प्रातः समय 07.15 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 15.02.2024 को समय 07.15 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री हसन मोहम्मद ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया और संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10 हजार रू0 अपने साथ लेकर आना तथा संदिग्ध आरोपी जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन द्वारा उसको रिश्वत की राशि उसके किराये के कमरे के पास होली टीबा तिजारा पर लेकर बुलाने के लिए बताया तथा इसी दौरान पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र यादव, कनिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ सहायक भी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 07.30 एएम0 पर दोनों गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री हसन मोहम्मद से संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैंन को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये निकाल कर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री हसन मोहम्मद की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र यादव, कनिष्ठ सहायक से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/ राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 10,000/- रूपये श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री हसन मोहम्मद की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया एक फ्रेश डिस्पोजल गिलास व पानी लेकर प्रदर्शित करवाकर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व की समझाईश की गई एवं प्रदर्शन घोल को श्री रामसिंह कानि. से कार्यालय के बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री हसन मोहम्मद को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करने की हिदायत देकर उक्त इशारे के बारे मे दोनों गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों का आपसी परिचय करवाकर समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 14.02.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की एवं रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशि सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 08.30 ए0एम पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र यादव कनिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्रीमती सुनिता हैड कानि0 148 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों के एवं परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा के लिये रवाना होकर समय 09.30 ए0एम0 पर तिजारा स्थित होली टीबा के पास पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को रूकवाकर साईड में खडा करवाकर श्री महेश कुमार कानि0 से समय 09.34 ए0एम0 पर परिवादी श्री हसन मोहम्मद का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार, लाईनमैंन के पास रिश्वत राशि देने के लिए होली टीबा पर जाने के लिये मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के वाहनों में ही बैठकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी होली टीबा तिजारा के पास

असलीमपुर रोड पर अपनी मोटर साईकिल रोककर खडा हो गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के परिवादी के नजदीक पहुंचकर, परिवादी के पास ही वाहनों में बैठे रहकर मौका अनुसार अपनी-अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। परिवादी के पास एक व्यक्ति आया तथा परिवादी और वह व्यक्ति आपस में बात करने लग गये, परिवादी ने अपने पास से उस व्यक्ति को अपने पास से रूपये निकालकर दिये, जिनको वह व्यक्ति गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिया और दोनों वही खडे रहे। समय 09.45 ए0एम0 पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने होली टीबा चौकी कस्बा तिजारा से असलीमपुर जाने वाली रोड पर से अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त असलीमपुर रोड पर पहूंचा एवं मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पास से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर एवं रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी के साथ खडे व्यक्ति जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही श्री जितेन्द्र कुमार हमारे फीडर का लाईनमैन है। जिन्होने अभी - अभी मेरे से अपने स्वयं एवं श्री आनन्द राव जेइएन जयपुर डिस्कॉम, तिजारा ग्रामीण के लिये 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को गिनकर उक्त राशि अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रख लिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करातें हुये उस व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने घबरातें हुये अपना नाम श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गबदू राम जाट, जाति जाट, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा, पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल तकनीकी सहायक-2nd (फिडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, बाघोर, हसनपुर माफी,) कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, जिला खैरथल -तिजारा होना बताया। इस पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd से परिवादी श्री हसन मोहम्मद से अभी ली गई रिश्वति राशि 10,000/- रूपये एवं दिनांक 14.02.2024 को वक्त रिश्वति मांग सत्यापन लिये गये 10,000/- रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री हसन मोहम्मद के मकान पर इनके भाई श्री साहबदीन के नाम घरेलू विधुत कनेक्शन है एवं श्री हसन मोहम्मद के ताउ श्री इब्राहिम के घर पर उनके पिता श्री कमल खां के नाम से विधुत कनेक्शन लगा हुआ है। साहबदीन के नाम के विधुत कनेक्शन से पीने के पानी के लिए सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर से पानी की निकासी की जाती है। इस कारण साहबदीन के विधुत कनेक्शन का सिंगल फेज सबमर्सिबल का स्टार्टर दिनांक 12.02.2024 को जेईएन साहब व मै लेकर आये थे। उक्त दोनो विधुत कनेक्शनो की वी.सी.आर नही भरने एवं स्टार्टर लौटाने की एवज में श्री आनन्द राव जेईएन के कहने पर अभी अभी मैने श्री हसन मोहम्मद से 10,000/- रूपये लिये है जो मेरी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे हुये है। कल दिनांक 14.02.2024 को श्री हसन मोहम्मद से लिये गये 10,000/- रूपये मैने कल ही श्री आनन्द राव जेइएन साहब को दे दिये थे। मौके पर काफी भीड एकत्रित होने लगी है एवं ट्रेप कार्यवाही में व्यवधान पडने की पूर्ण सम्भावना है। मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री जितेन्द्र कुमार का श्री सुण्डाराम मुख्य आरक्षक नं 02 ने दाया हाथ एवं श्री भास्कर मुख्य आरक्षक नं 59 ने बाया हाथ कलाई के उपर से पकड लिये । आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार के दोनो हाथों को उपरोक्तानुसार पकडे पकडे ही प्राइवेट वाहन में बैठाकर मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के दोनो प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर असलीमपुर चौक के पास खाली जगह पर प्राईवेट वाहनों को साईड में रोककर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार से आरोपी श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता के बारे में पूछा तो आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया की जेइएन साहब अभी तिजारा कार्यालय में ही बैठे हुये है वाहन में बैठे-बैठे आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर 85293-06607 से श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता के मोबाईल नम्बर 75688-32240 पर हैण्ड फ्री करवाकर (स्पीकर ऑन करवाकर) वार्ता करवाई गई एवं उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. श्री महेश कुमार नं 462 से रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार को हमाराह लेकर असलीमपुर चौक के पास से रवाना होकर कार्यालय परिसर सहायक अभियंता ओ.एण्ड.एम जयपुर डिस्कॉम तिजारा पहुंचे। उक्त दोनो प्राईवेट वाहनो को सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में खडा करवाकर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार को दोनो हाथो को पकडे पकडे ही उक्त कार्यालय परिसर में स्थित कार्यालय कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण व शाहबाद जयपुर डिस्कॉम तिजारा के कार्यालय कक्ष में पहुंचे जहां पर उक्त कार्यालय में एक व्यक्ति गेट में प्रवेश करते ही लगी हुई टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ मिला आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के समक्ष उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की ये ही हमारे जेइएन साहब श्री आनन्द राव है, जिनको मैने श्री हसन मोहम्मद निवासी हसनपुर माफी से उनके घरेलू कनेक्शनों की वीसीआर नही भरने एवं इनकी मोटर का स्टार्टर वापस दिलवाने के लिये मैने दिनांक 14.02.2024 को हसन मोहम्मद से 10,000/- रूपये लेकर इनको दिये थे। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमाराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आनन्द राव, कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण होना बताया। जिसको स्टाफ की निगरानी में उसी कक्ष में बैठाया गया। मौके पर मौजूद परिवादी श्री हसन मोहम्मद से मन पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये

उपरोक्त कथन के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया की श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन सही कह रहे है। मेरे घर पर मेरे भाई साहबदीन एवं ताउ के घर पर मेरे दादा श्री कमल खां के नाम घरेलू विधुत कनेक्शन है । हमने घर पर सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर लगा रखी है। दिनांक 12.02.2024 को श्री आनन्द जेइएन साहब एवं श्री जितेन्द्र कुमार लाईमैन हमारे घर पर आये और कहा की तुमने घरेलू विधुत कनेक्शन पर सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर लगा रखी है, जिसकी वी.सी.आर भरी जायेगी और मेरे घर पर लगी सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर लेकर आ गये। इसके बाद उसी रोज शाम को हमारे फीडर के लाईनमैन श्री जितेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 8529306607 से मेरे ताउजी इब्राहिम के मोबाईल नम्बर 9549113585 पर फोन करके हमे तिजारा बिजली विभाग के ऑफिस में आकर श्री आनन्द, कनिष्ठ अभियंता तिजारा ग्रामीण से मिलने के लिए कहा जिस पर मै और मेरा ताउजी श्री इब्राहीम दिनांक .12.02.2024 को शाम को ही कनिष्ठ अभियंता श्री आनन्द से मिले तो कनिष्ठ अभियंता श्री आनन्द ने हमारे से कहा की आप लोग चोरी से मोटर चलाते हो मै आप की वीसीआर भरूगा यदि आप वीसीआर नही भरवाना चाहते हो और अपनी मोटर का स्टार्टर वापिस लेना चाहते हो तो प्रति कनेक्शन 10-10 हजार रूपये के हिसाब से 20,000/-रूपये देने पडेंगे और हमे कहा कि आप अपने फीडर के लाईनमैन श्री जितेन्द्र कुमार से मिलकर बात कर लेना। तत्पश्चात दिनांक 13.2.2024 को मैने आपके कार्यालय में आकर लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर शिकायत की थी। आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कहने पर मैं आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार के साथ तिजारा आया तो श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन नही मिला जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर 9351064797 से जितेन्द्र कुमार लाईनमैन के मोबाईल नम्बर 8529306607 पर वार्ता की तो उसने मुझे कहा की मैं बाहर हूं, दिनांक 14.02.2024 को वक्त 9.30 एएम पर तिजारा मिलूगा। दिनांक 14.02.2024 को श्री जितेन्द्र कुमार के उपरोक्त फोन नम्बर से वक्त करीब 9.15 एएम पर मेरे पास मेरे उपरोक्त नम्बर पर फोन आया और मुझे होली टीबा कस्बा तिजारा पर बुलाया । मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार होली टीबा कस्बा तिजारा में गये तो श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन ने मेरे से कनिष्ठ अभियंता के लिये 20,000/- रूपये की मांग की एंव पैसे आधा घण्टे में ही देने के लिए कहा। मैं वहा से रवाना होकर मै आपके कर्मचारी महेश कुमार के पास आया और मैने आपके कर्मचारी महेश कुमार के उपरोक्त तथ्य बताये। श्री महेश कुमार ने आपसे जरिये मोबाईल वार्ता कर उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया। तत्पश्चात मैने महेश कुमार को कहा की मैं श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक को मांगी गई रिश्वति राशि अभी नही दूंगा तो वह कनिष्ठ अभियंता श्री आनन्द से हमारी वीसीआर भरवा देगा इस कारण मैं मांगी गई रिश्वति राशि 20,000/- रूपये में से 10,000/- रूपये के नम्बर लिखकर एवं नोटो की मेरी मोबाईल में फोटू खिचकर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन को आनन्द कनिष्ठ अभियंता को देने हेतु देकर आउँगा। फिर मैने 10,000/- रूपये की व्यवस्था की और नोटो के नम्बर एक कागज पर लिखकर नोटो की अपने मोबाईल में फोटो खिचकर रख लिये। फिर मैने श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन से उसके मोबाईल पर वाटसअप एप पर वार्ता की तो उसने मुझे टोल प्लाजा तिजारा के पास आने के लिये कहा जिस पर मैने आपके कर्मचारी महेश कुमार से टेपरिकॉर्डर चालु हालात में लेकर टोल प्लाजा के पास जितेन्द्र कुमार लाईनमैन के पास जाकर हमारी वीसीआर एवं स्टार्टर से संबंधित वार्ता कर 10,000/- रूपये जितेन्द्र कुमार लाईनमैन को दे दिये उस वक्त इन्होने शेष रही 10,000/- रूपये रिश्वति राशि आज दिनांक 15.2.2024 को प्रात 9.30 एएम पर देने के लिये कहा था। श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन के मांगने पर आज मैने इनको 10,000/-रूपये रिश्वत के इनको दिये है, जो इन्होने गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रख लिये। परिवादी के उक्त कथन पर कार्यालय कनिष्ठ अभियंता तिजारा में मौजूद श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता से पूछताछ की गई तो कनिष्ठ अभियंता ने बताया की दिनांक 12.02.2024 को बकाया वसूली के लिये विधुत निरोधक दस्ता की टीम आई थी, मै व श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य कर्मचारी टीम के साथ बिल की वसूली हेतु गये थे, मै हसन मोहम्मद व इसके ताउ इब्राहीम के घर हसनपुर माफी पर नही गया ओर ना ही मैं हसन मोहम्मद के मकान से सबमर्सिबल मोटर के स्टार्टर को खोलकर लाया था हसन मोहम्मद के उक्त स्टार्टर को एटीबीएस (विधुत चोरी निरोधक दस्ता) बहरोड के इन्चार्ज खोलकर अपने साथ बहरोड ले गये है। श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता के उक्त कथन पर उनके पहने हुये परिधान की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक कुमार से लिवाई गई तो 200 रूपये चार नोट, 100 रूपये के दो नोट, पचास रूपये के दो नोट, 20 रूपये के 7 नोट एंव 10 -10 रूपये के आठ नोट कुल 1320/- रूपये के साथ 500-500 रूपये के 13 नोट 6500/- रूपये मिले । उक्त 500-500 रूपये के नोटो के नम्बरों का परिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2024 को वक्त रिश्वति मांग सत्यापन दिये गये दस हजार रूपये के नोटों का खिचे गये फोटो से एवं उनका मिलान दोनो गवाहान से करवाया तो उक्त दस हजार रूपये के 500-500 रूपये के 20 नोटो में से उक्त 13 नोट पाये गये। उक्त राशि के बारे में श्री आनन्द कुमार कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया तो बताया कि मैने 6500/- रूपये तीन बार करके श्री जितेन्द्र कुमार लाईनमैन को उधार दिये थे। दिनांक 14.02.2024 को मैने श्री जितेन्द्र कुमार को उक्त उधार राशि मनोज कुमार यादव पुत्र श्री हेमसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम शाहबाद तहसील व थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा जिसकी कस्बा तिजारा में टोल प्लाजा से पहले गार्डन के पास दूकान एवं मकान बनाकर किराये पर दे रखे है। श्री मनोज कुमार यादव को देने के लिये कहा, तब श्री जितेंन्द्र कुमार लाईनमैन ने 6500/- रूपये मनोज को दिये थे, जिस पर मैने 6500/- रूपये मनोज से लिये थे। श्री आनन्द राव से मनोज के मोबाईल नम्बर पूछने पर आनन्द राव ने मनोज कुमार यादव मोबाईल नम्बर 9782690769 होना बताया। श्री

आनन्द राव द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की सत्यता बाबत श्री मनोज कुमार यादव को तलब कर तस्दीक की जावेगी। परिवादी श्री हसन मोहम्मद के घर से सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर विधुत चोरी निरोधक पुलिस थाना बहरोड के प्रभारी श्री अतर सिंह एवं एफआरटी तिजारा के कर्मचारी लेकर आये थे और स्टार्टर को अपने साथ ले गये। कनिष्ठ अभियंता श्री आनन्द राव के उपरोक्त कथन पर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार से पूछा गया तो बताया की कनिष्ठ अभियंता आनन्द राव झूठ बोल रहे है वह मेरे से कोई उधार राशि नही माँगते थे, मैने श्री हसन मोहम्मद से दिनांक 14.2.2024 को लिये 10,000/- रूपये श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता को उसी दिन दे दिये थे। दिनांक 12.02.2024 को श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता के साथ ग्राम हसनपुर माफी में मै भी गया था। उस दिन ड्राईवर नही होने के कारण सरकारी गाडी को मै चलाकर लेकर गया था। उस दिन श्री हसन मोहम्मद के मकान से सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर लेकर आये थे। वह कनिष्ठ अभियंता ने अपने कार्यालय में बने स्टोर में रखवाया था। इस पर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में मौजूद श्री महेन्द्र कुमार सैनी तकनिकी सहायक से पूछने पर उसने बताया कि स्टोर के इन्चार्ज श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता है, स्टोर की चाबी कनिष्ठ अभियंता द्वारा मुझे दी हुई है। उक्त स्टोर का लॉक खुलवाकर चैक करवाया तो स्टोर के सामने रखे स्टार्टर को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार ने हसन मोहम्मद का स्टार्टर होना बताया। श्री महेन्द्र कुमार सैनी से स्टार्टर से संबंधित संधारित रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो बताया की जेइएन साहब ने मुझे एक डायरी दे रखी है। मैं उस डायरी में जेइएन द्वारा वीसीआर से संबंधित एवं स्टार्टर आदि को जप्त किये गये का विवरण उस डायरी में अंकित करता हूं, इस स्टार्टर का भी विवरण मेंरे द्वारा डायरी में किया हुआ है। मन पुलिस निरीक्षक के मांगने पर श्री महेन्द्र कुमार सैनी ने डायरी पेश की डायरी पर श्री हरि गीता-दैनन्दिनी गीताप्रेस, गोरखपुर प्रिन्ट है, डायरी में दिनांक 12.2.2024 को 4 एन्ट्री दर्ज की हुई है एवं दिनांक 13.2.2024 को 4 एन्ट्री दर्ज की हुई है। दिनांक 12.02.2024 की क्रम संख्या 1 व 2 पर परिवादी से संबंधित एन्ट्री दर्ज है। क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री सिराजूदीन के नाम की एन्ट्री के आगे वीसीआर क्रियेट अंकित किया हुआ है। उक्त डायरी के एन्ट्री पेंज की पुश्त पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। स्टार्टर की पहचान परिवादी हसन मोहम्मद से करवाई तो परिवादी ने उक्त स्टार्टर स्वयं के घर से कनिष्ठ अभियंता एंव जितेन्द्र कुमार लाईनमैन द्वारा लाना बताया। इस पर उक्त स्टार्टर एवं स्टार्टर से संबंधित संधारित रिकॉर्ड के बारे में मौजूद कनिष्ठ अभियंता श्री आनन्द राव से पूछा गया तो चुप रहा एवं कुछ भी बताने से मना किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण में रखे कैम्पर से साफ पानी मे से एक बोतल में पानी भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फिडर इन्चार्ज नीमली, बाघोर व हसनपुर माफी कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास का धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी जितेन्द्र कुमार से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में होना बताया इस पर गवाह श्री दीपक कुमार से आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक द्वारा बताये अनुसार आरोपी के शरीर पर पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब की तलाशी लीवाई गई तो उक्त गवाह ने उक्त जेब से 500-500 रूपये के फोल्ड कुछ रूपये निकाले। उक्त गवाह से 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड नोटो की राशि को गिनने एंव नोटो की पहचान करने हेतु दोनो गवाहान को कहा गया तो गवाहान ने श्री जितेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की जेब से बरामद शुदा राशि 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड नोटों को गिनकर कुल 10,000/- रूपये जिनमें 500-500 रूपये के 20 नोट होना तथा उक्त राशि के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से हुबहू मिलना बताया। बरामद शुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 10,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क -TM से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से प्लास्टिक के एक फ्रेश पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त

गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी जितेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिन्स पेन्ट को उतरवाकर उक्त आरोपी को बिजली विभाग स्टाफ से मंगवाई गई दूसरी पेन्ट पहनाई जाकर उक्त घोल के गिलास मे आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd के शरीर से उतरवाई गई जिन्स पेन्ट जिसके पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त जेब को उलटवाकर उसको घोल के गिलास मे डूबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त जिन्स पेन्ट की जेब को अच्छी तरह से धुप मे सुखाकर उस जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जिन्स पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क पी से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। प्रयुक्त डिस्पोजल गिलासों जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd को एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से स्पष्ट मना किया। दिनांक 14.2.2024 को वक्त रिश्वति मांग सत्यापन परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd को दिये गये 10,000/- रूपये में से 6,500/- रूपये जो श्री आनन्द राव, कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण की जामा तलाशी मे बरामद हुये है का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर उक्त बरामद शुदा 6,500/- रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान परिवादी के द्वारा खिचे गये फोटो की स्क्रीन सॉट से पुनः मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क TM-1 से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया तथा श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाषी में उक्त राशि 6,500 रू0 के अतिरिक्त मिले 1,320 रू0 के बारे में श्री आनन्द राव द्वारा अपने खर्चे की राशि होना बताये जाने पर उक्त 1,320 रू0 श्री आनन्द राव को वापस लौटाये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा के कब्जे से परिवादी श्री हसन मोहम्मद के मकान पर लगी पीने के पानी की सबमर्सिबल मोटर के स्टार्टर को बजह सबूत जरिये फर्द जब्त किया गया तथा धटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्षा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 04.45 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार, तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज नीमली, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 15.02.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार, तकनिकी सहायक -2nd के मोबाईल नं0 8529306607 से कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा श्री आनन्द राव के मोबाईल नं0 7568832246 पर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd एवं श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य मध्य हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क ''बी-1'', मार्क ''बी-2'' एवं मार्क ''बी-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''बी-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 03 मे दिनांक 14.02.2024 को परिवादी व आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd , फीडर इन्चार्ज नीमली प्रथम के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता व रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई एवं फोल्डर नं0 4 में दिनांक 15.02.2024 को परिवादी व आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ता तथा फोल्डर नं0 5 में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd की श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा से मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस. डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड sandisk 32 GB के साथ एक

खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। समय 06.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष जरिये मोबाईल तलबशुदा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हेमसिंह यादव जाति अहीर उम्र 32 साल निवासी ग्राम शाहबाद तहसील व थाना तिजारा जिला खैरथल-तिजारा दौराने कार्यवाही कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा में उपस्थित आया। उक्त श्री मनोज कुमार यादव से गवाहान श्री दीपक कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र यादव कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज नीमली प्रथम व श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा की मौजूदगी में श्री मनोज कुमार यादव से कार्यवाही के दौरान आज श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा द्वारा उससे बरामद रिश्वत राशि के 6,500 रू0 के सम्बन्ध में बताये गये तथ्यों की तस्दीक हेतु पूछताछ की गई तो श्री मनोज कुमार यादव ने कार्यवाही के दौरान श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा द्वारा बरामदशुदा 6,500 रू0 के बारे में बताये गये तथ्यों को असत्य होना बताया। उक्त कार्यवाही की फर्द पूछताछ पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली किया गया तथा बाद पूछताछ श्री मनोज कुमार यादव को रूकसत किया गया। तत्पश्चात समय 06.45 पी0एम0 पर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गबदू राम जाट उम्र 30 साल जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक -2nd फिडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा, जिला खैरथल तिजारा को हस्बकायदा जरिये फर्द अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत गिरफ्तार किया गया। समय 09.00 पी0एम0 पर कार्यवाही में उपयोग ली गई ब्राससील को जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट किया गया तथा परिवादी से सम्बन्धित कोई कार्य शेष नही होने से परिवादी श्री हसन मोहम्मद को मौके से रूखसत किया गया। तत्पश्चात बाद कार्यवाही कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण तिजारा से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार, तकनिकी सहायक -2nd , दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, जब्तशुदा रिश्वत राशि एवं जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स इत्यादि सहित दिनांक 15.02.2024 को समय 10.00 पी. एम. पर रवाना होकर दिनांक 16.02.2024 को समय 12.15 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, को कार्यालय में रखवाया गया तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी को ए0सी0बी0 स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा बजह सबूतों को श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण तिजारा व श्री आनन्द राव, कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण तिजारा द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर मिलीभगत कर षढयंत्र पूवर्क एक राय होकर ग्राम हसनपुरमाफी में परिवादी श्री हसन मोहम्मद के मकान पर उसके भाई श्री साहबदीन के नाम लगे हुये घरेलू विधुत कनेक्शन एवं परिवादी श्री हसन मोहम्मद के ताउजी श्री इब्राहिम के घर पर परिवादी के दादाजी श्री कमल खां के नाम से लगे हुये विधुत कनेक्शन की वीसीआर नही भरने एंव दिनांक 12.02.2024 को परिवादी के घर पर उसके भाई साहबदीन के नाम से लगे हुये विधुत कनैक्शन से उनके पीने के पानी की लगी हुई सिंगल फेस सबमर्सिबल मोटर के स्टार्टर को खोलकर श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण तिजारा व श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज खोलकर अपने साथ लेकर आये, जिसको कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द राव ने राजकीय रिकार्ड में बिना इन्द्राज किये/दर्शाऐ ही अपने पास अपने कार्यालय में रख लिया और परिवादी के उक्त दोनों कनेक्सनों की डिटेल वी0सी0आर0 भरने के लिए डायरी में अंकित करवाई गई तथा परिवादी के उक्त दोनो विधुत कनेक्शनो की वी.सी.आर नही भरने एवं परिवादी की सिंगल फेस सबमर्सिबल मोटर का उक्त स्टार्टर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को वापस लौटाने की एवज में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा द्वारा दिनांक 14.02.2024 को परिवादी श्री हसन मोहम्मद से दौराने रिश्वत मांग सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता के नाम से 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर दौराने सत्यापन 10 हजार रू0 रिश्वत के दिनांक 14.02.2024 को प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 10 हजार रू0 दिनांक 15.02.2024 को देने के लिये परिवादी को कहना तथा अपनी उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 15.02.2024 को परिवादी से 10,000/- रू0 रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथों पकडे जाने तथा दिनांक 14.02.2024 को परिवादी से कनिष्ठ अभियन्ता के नाम से प्राप्त किये गये 10 हजार रू0 में से 500-500 रू0 के 13 नोट 6500 रू0 श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा के कब्जे से दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने के जुर्म में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार तकनिकी सहायक -2nd फीडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा का उक्त कृत्य अपराध

अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा की प्रकरण के कृत्य में उपरोक्त तथ्यों के अनुसार संलिप्ता बाबत भूमिका पूर्णतया संदिग्ध पाई गई है, जिसके सम्बन्ध में श्री आनन्द राव कनिष्ठ अभियन्ता का आपराधिक कृत्य अनुसंधान से स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जावेगा। अतः आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गबदू राम जाट उम्र 30 साल जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक -2nd फिडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। s (प्रेमचन्द) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचंद, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर ने अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर के मार्फत प्रेषित की गई प्राप्त हुई है। निर्देशानुसार रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादसं में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गबदू राम जाट, तकनीकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज नीमली प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा एवं श्री आनन्द राव, कनिष्ठ अभियंता, जयपुर डिस्कॉम तिजारा ग्रामीण, तिजारा जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल यादव) उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा को सुपुर्द कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट संख्या 245 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासऩ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः 151 - 155 दिनांकः 7-02-2024 प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अलवर । 2 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3 मुख्य प्रबन्ध निदेशक, जेविविएनएल, जयपुर 4 अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, जिला खैरथल, तिजारा (भिवाडी) 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम। एस0डी0 (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासऩ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/02/2024 16:47:49

Name(नाम): Vishna Ram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/09/1995				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)